न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/57/2016

जड़ाव देवी पुत्री भोलूराम पत्नि भगवानाराम जाति जाट निवासी ढाणी बजाड़ान हाल निवासी गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–वादीया

बनाम

1. लाली देवी पुत्री भोलूराम पत्नि त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी ढाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल निवासी गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2. पटवारी हल्का, भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः– **दिनांक–21.05.2018**

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि आराजी खसरा नम्बर 90/2/2 रकबा 2.84 हैक्टेयर तन ग्राम ढ़ाणी बजाड़ाना तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है आराजी है जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दू मिताक्षरा परिवार की सदस्य है। यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 90/2/2 रकबा 2.84 हैक्टेयर तन ग्राम ढ़ाणी बजाड़ाना तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर (राजस्थान) में अवस्थित आराजी वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक वंशानुगत की कृषि काश्त की आराजी है जो संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे, काश्त की है जिसका विधिक रुप से विभाजन आज दिवस तक नहीं हुआ है जिसमें बाहमी तौर पर वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2हिस्सा भूमि भाग की विधिक रुप से हकदार है इसी कदर आराजी का कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग निरन्तर निर्बाध रुप से साधिकार चला आ रहा है तथा आराजी की खातेदारी आज दिवस वादीया व प्रतिवाद संख्या 1 के पिता के नाम से खातेदारी दर्ज है जिसमें 1/2 हिस्सा वादीया व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी उद्घोषणा फरमायी जानी आवश्यक है।

यह कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान खातेदारी इनके पिता भोलू पुत्र गुल्ला के नाम से ही दर्ज है जिसकी वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ही विधिक वारिसान है लेकिन खातेदारी आज दिवस तक इनके नाम से दर्ज नहीं होने के कारण इन्हें काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा मिलने वाली राजकीय सहायताओं से भी वंचित होना पड़ता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य वादीया के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नहीं करें इसके लिये इन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें।

यह कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी व विभाजन करवा लेने हेतु वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से कई मर्तबा निवेदन किया किन्तु बात टाल मटोल करती रही एवं अन्त में दिनांक 10.09.2016 को स्पष्ट इन्कार होने के दिन से वाद कारण व हकनालिस हासिल हुआ तथा वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ। यह कि वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 भूमि भाग की खातेदारी होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 राजस्व कर्मचारी, भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाए गये है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के खिलाफ कोई सीधी सहायता नहीं चाही गयी है। यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम ढ़ाणी बजाड़ाना की तन में अवस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वाद–पत्र उचित न्यायशुल्क पर सावधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादीया/प्रार्थीया इस्तदुआ करती हैः– (क) कि वाद वादीया बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 90/2/2 रकबा 2.84 हैक्टेयर तन ग्राम ढ़ाणी बजाड़ाना तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा भूमि भाग की काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर अलग खाता व अलग–अलग लगान व जुदागा कब्जा निर्धारित फरमाया जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा जावें कि वे वादीया के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करें। (ग) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीया प्राप्त करने की अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें वादिया व प्रतिवादीया सं. 1 दिनांक 02.06.2017 को स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प रूल्याणी में पेश हुई। वादिया व प्रतिवादीया सं. 1 को कैम्प में जरिये नोटिस तलब किया गया। कोई भी उपस्थित नहीं। केम्प स्थल पर पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्रकरण से संबंधित नामान्तरकरण की स्थिति के बारे मे अवलोकन करने के लिए कैम्प स्थल पर पटवारी हल्का से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। जिसके उपरोक्तानुसार अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण वर्णित नामान्तरकरण सं. 108 दिनांकित 03.10.1997 को तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा यह कहते हुये खारिज कर दिया कि ''ग्राम पंचायत की नामान्तरकरण समय सीमा 45 दिन के बाद नामान्तरकरण पेश हुआ। भोलू के वारिसान की जांच करने पर बताया गया कि भोलू के पुत्र जीवण के फौत होने के बाद उसकी पत्नी जीवणी नाते गई बताई परन्तु जमीन पर काबिज है। वारिसान की स्थिति अस्पष्ट होने से नामान्तरकरण खारिज किया जाता है।'' साथ ही पटवार हल्का के रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में दो बार नामान्तरकरण दर्ज हो चुके है व संबंधित अधिकारिता वाले अधिकारी द्वारा खारिज किये जा चुके है। प्रस्तुत दावे में कही भी वादिया द्वारा खारिज किये गये वर्णित नामान्तरकरण के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादिया ने स्वच्छ मानसिकता से दावा पेश नहीं किया है। सारतः वादिया को उक्त नामान्तरकरण के बारे में जानकारी होते हुए भी न्यायालय प्रक्रिया कर न्यायालय का समय नष्ट किया है। नामान्तरकरण खारिज होने के बाद उसे वादिया द्वारा सक्षम न्यायालय में विधिवत अपील दायर की जानी थी। अतः उपरोक्त अवलोकन के आधार पर हस्तगत प्रकरण में वादिया को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। जिसमें वादिया व प्रतिवादीया सं. 1 दिनांक 02.06.2017 को प्रस्तुत राजीनामा भी स्वीकार योग्य नहीं है। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादिया का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः वादिया का वाद साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट रूल्याणी में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– रूल्याणी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

जड़ाव देवी बनाम लाली देवी आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– 57/2016 **निर्णय दिनांक– 21.05.2018**

वादी..... व प्रतिवादी.....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादिया का वाद साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आज तारीख 21.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– रूल्याणी

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– रूल्याणी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official